न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 142/2019

1. कृष्ण मुरारी आ0 चम्पालाल जाति धाकड़ निवासी रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. नरेन्द्र आ0 चम्पालाल जाति धाकड़ निवासी रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल आ0 कस्तुरचन्द जाति धाकड़ नि0 रंगपुरिया तह0 के0 पाटन जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0 पाटन

—प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट

2— प्रतिवादी की और से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर एडवोकेट

—::निर्णय::— दिनांकः 19.11.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 16.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 54 व पुराना 52 की कृषि भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 1.76 है0, खसरा सख्या 82 रकबा 0.27 है0, खसरा सख्या 92/879 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 775 रकबा 1.05 है0, खसरा संख्या 837 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 961/880 रकबा 0.72 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया, पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे विरिथत है। मूल पुरूष चम्पालाल है। चम्पालाल का पुत्र कृष्णमुरारी व नरेन्द्र है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढ़ी दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण 1/3, 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है उसको पृथक् रूप से अपने खाते दर्ज करवाना चाहते है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय या अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर अमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे।

3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद पत्र का इकबालिया जवाब दावा पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 21.10.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.10.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 54 व पुराना 52 की कृषि भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 1.76 है0, खसरा सख्या 82 रकबा 0.27 है0, खसरा सख्या 92/879 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 775 रकबा 1.05 है0, खसरा संख्या 837 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 961/880 रकबा 0.72 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया, पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है व बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * के0 पाटन *

19/11/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

कृष्णमुरारी v/s चम्पालाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 142/2019

वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 19.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादीगण का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 54 व पुराना 52 की कृषि भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 1.76 है0, खसरा सख्या 82 रकबा 0.27 है0, खसरा सख्या 92/879 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 775 रकबा 1.05 है0, खसरा संख्या 837 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 961/880 रकबा 0.72 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.94 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया, पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है व बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.11.2019 को जारी की गई।

(मोहर)

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.12.05 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: